न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट रामसीन

मुकदमा नंबर :— 170/2020

प्रार्थी :—

श्री जेठाराम पुत्र श्री धुड़ाराम जाति प्रजापत निवासी बालोतरा,
तहसील पचपदरा जिला —बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी :—

1. श्री नारायण प्रसाद पुत्र श्री जेठाराम
2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जेठाराम
3. श्री कमलकिशोर पुत्र श्री जेठाराम
4. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जेठाराम सभी जाति प्रजापत निवासी बालोतरा
5. सभापति /आयुक्त नगर परिषद् , बालोतरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्तागण 1 श्री प्रेमसिंह प्रार्थी वकील

2.. श्री जुंजाराम पटेल विप्रार्थीगण वकील

आदेश दिनांक :—09.10.2021

प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि सरहद मौजा जेरला के खसरा संख्या —1090/418 से खसरा संख्या 1080/447 तक कटान रास्ता दर्ज है जिससे उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा न0 1240/445 रकबा 06—17 बीघा व खसरा न0 1239/445 रकबा 4 बीघा व खसरा न0 1015/432 रकबा 22—14 बीघा व मौजा जेरला में से 20 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/[illegible] 09.10.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा [illegible] किया गया कि मौजा जेरला के खेत खसरा न0 1090/[illegible] दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार ही न्यूनतम दूरी क[illegible]स्ता खसरा संख्या 1240/445 , 1239/445, 1015/432 में से रास्ता 20 फीट चौडाई के आधार पर 12 बिस्वा होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:48 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रार्थी एंव विप्रार्थी के विद्ववान अधिवक्तागण की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा जेरला के खेत खसरा न0 1090/418 में आवागमन हेतु रास्ता ख0न0 1240/445 मौजा जेरला में से 10 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र पुश्त पर अंकित अनुसार दर्शाये गये हिस्से ए से बी अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थी के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 1239/445, 1015/432 की भूमि नगर परिषद बालोतरा के खाते में दर्ज है, नगर परिषद बालोतरा के द्वारा भविष्य में नियमानसार रास्ते की भूमि को छोड़कर ही पट्टे वितरण की कार्यवाही की जाती है, ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1240/445 ग्राम जेरला की कटान रास्ते से जुडती प्रस्तावित 05 विस्वा भूमि की डी0एल0सी0 दर से 531432/ रूपये होते है जो नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवाारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा जेरला के खसरा संख्या –1090/418 आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा न0 1240/445 मौजा जेरला में से 10 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के अनुसार है जो प्रार्थी के निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकि प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा जेरला के खसरा संख्या –1090/418 आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा न0 1240/445 मौजा जेरला में से 10 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, के भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु प्रस्तावित 05 विस्वा भूमि की डी0एल0सी0 दर से 531432/ रूपये होते है की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 10,62,870/– रूपये विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 भुगतान करने हेतु तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 09.10.2021 में चिन्हित किया गया परिशिष्ट 'अ' में ए से बी बरंग लाल इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:42:48 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत रामसीन प.स. बालोतरा

आदेष आज दिनांक 09.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प रामसीन में मजमें आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत रामसीन प.स. बालोतरा